

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1966 /2020

दिनांक : 31.10.2020

श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही को दिनांक 02.11.2020 से 12.11.2020 तक 11 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 01.11.2020 एवं 13.11.2020 से 16.11.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री आचार्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से  
 31.10.2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण )

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/37/2013/ 4941

दिनांक : 31.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही को उनके पत्रांक 845 दिनांक 22.10.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही ।

  
सहायक रजिस्ट्रार